फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज.)

वेणा भील व अन्य	बनाम	युसुफ व अन्य

किस्म मुकदमा निगरानी/अपील/मुकदमा नं. 45/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	
19.11.2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलान्टगण व अधिवक्ता अपीलान्ट लम्बे समय से अनुपस्थित चल रहे है। वकील रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत अन्तर्गत आदेश 22 नियम–3 व 9 का अबेटमेन्ट संबंधी प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। **साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.10.2017 का भी अध्ययन किया गया।** प्रस्तुत अपील वेणा पिता कालुजी भील, वजेराम पिता नारूजी भील, नकारी बेवा नारू भील व लोगरी बेवा टेकलाल भील द्वारा ग्राम हाथीधरा, तहसील बडगांव, उदयपुर की आराजी नम्बर 3637/1007 एवं आराजी नम्बर 3638/1000 के नामान्तरकरण के संदर्भ में पेश की गई है। *अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर के फैसले का अध्ययन किए जाने पर इसमें प्रासंगिक आराजियात के संदर्भ में 9 नामान्तरकरण के विरूद्ध 9 अपीलें प्रस्तुत किया जाना व इनमें से 6 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में प्रस्तुत करना तथा आबादी भूमि का क्षेत्राधिकार नहीं होने से निरस्त किया जाना तथा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से भी उपखण्ड अधिकारी के निर्णय को बहाल रखे जाने का उल्लेख किया गया।* अभिलेखागार न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से संदर्भित प्रकरण संख्या 85/2015 निर्णय दिनांक 09.05.2017 को तलब किया गया। तद्नुसार संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा आबादी भूमि से संबंधित प्रकरणों का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होना मानते हुए प्रकरण क्षेत्राधिकार के आधार पर खारिज किया जाना पाया गया। **उपरोक्त पृष्ठभूमि में चूंकि उन्हीं अपीलार्थीगण द्वारा समान विषयवस्तु व अनुतोष से संबंधित अपील समान खसरा नम्बर के संदर्भ में प्रस्तुत किए जाने से प्रकरण में Res Judicata का सिद्धान्त लागू होता है। अतः न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा पूर्व निर्णित प्रकरण संख्या 85/2015 के निर्णय दिनांक 9–5–2017 संदर्भ में प्रस्तुत अपील पोषणीय (Maintainable) नहीं होने से निरस्त की जाती है।** **फैसला आज दिनांक 19.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।** 19/11/2025 संभागीय आयुक्त उदयपुर (राज.)		